

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग**

आदेश

संख्या-3/विविध-01-28/2026-

/स्वा0, पटना, दिनांक:

स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्न नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा NEET PG-2026 के परीक्षा में आवेदन करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है:-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थल	तन्म तिथि
1	2	3
1	डा० विशाल कुमार तिवारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चैनपुर, कैमूर	06.02.98
2	डा० कुमार अजित सौरभ, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, कुरिसराई, बेलागंज, गया	09.07.99
3	डा० फरहीन शौकत, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजनगर, मुधबनी	10.12.98
4	डा० स्मित प्रतीक, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, निर्मली, सुपौल	27.07.2000
5	डा० उज्जवल कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरौल, मुजफ्फरपुर	30.06.97
6	डा० विश्वजीत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेरिया बरियापुर, बेगूसराय	08.03.95
7	डा० नवीन कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सहरसा	11.12.96
8	डा० रचना भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, सोनवर्षा, सहरसा	15.09.99
9	डा० प्रिया दास, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुरा, सिवान	01.04.99
10	डा० नीतु कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, पुरैनी, मधेपुरा	05.04.89
11	डा० प्रेम शंकर पासवान, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, पूर्वी चम्पारण	22.02.98
12	डा० सुरभि कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर, पूर्वी चम्पारण	13.08.96
13	डा० शारिक हयात, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, राढ़ी, जाले, दरभंगा	14.12.91
14	डा० महिमा कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, कुर्साकाटा, अररिया	27.07.96
15	डा० आदित्य प्रकाश, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, संझौली सासाराम, रोहतास	11.07.97
16	डा० उज्जवल कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, हरनाराणपुर, जमुई	03.03.94
17	डा० गौरव श्रेष्ठ, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, बारसोई, कटिहार	28.03.99
18	डा० सुमित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, घोघरडीहा, मधुबनी	20.06.97

02. विदित हो कि विभागीय संकल्प सं० 508(3) दिनांक 05.06.2026 से बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु दिशानिर्देश निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि बिहार राज्य के बाहर किसी चिकित्सा महाविद्यालय एवं राज्य के अन्तर्गत निजी संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए चिकित्सकों को निम्नवत शर्तों को पूरा करने के उपरान्त अनापत्ति प्रदान की जाएगी:-

(i) सेवा सम्पुष्ट हो ।

(ii) तीन वर्ष की नियमित/लगातार कार्य करने की सम्पुष्टि नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा की गई हो ।

735(3)
8/9/26

N-

03. उपरोक्त चिकित्सक नवनियुक्त चिकित्सक हैं, जिनकी सम्पुष्टि तथा कार्य अवधि 03 वर्ष पूरा नहीं हुआ है अर्थात् विभागीय संकल्प-508(3), दिनांक-05.06.2026 से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र के दिशानिर्देश की अर्हतापूर्ण नहीं करते हैं जिसके आलोक में उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु समर्पित अभ्यावेदन विचार योग्य नहीं है ।

04. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :

795(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक:

8/9/26

प्रतिलिपि: संबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/संबंधित निदेशक/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी0एम0यू0 लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

W. P. K. 8/9/26

सरकार के उप सचिव

Ne